

**कार्यालय :** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून— 248001  
Email ID- [ceo\\_uttaranchal@eci.gov.in](mailto:ceo_uttaranchal@eci.gov.in)

फोन नं ०१३५ — २७१३७६०, २७१३५५१  
फैक्स नं ०१३५ — २७१३७२४

संख्या: ५९७ /XXV-12(1-5) / 2008 देहरादून: दिनांक १८ अप्रैल, 2018.  
सेवा में,

समस्त लोक सूचना अधिकारी,  
जिला निर्वाचन कार्यालय  
उत्तराखण्ड।

**विषय:-** लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलों की सूचना विषयक।

**महोदय,**


उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या—३७९१/उ०स०आ० /२०१८—१९ दिनांक ११ अप्रैल, २०१८ (जिसकी प्रति संलग्न है) का अवलोकन करने का कष्ट करें। आयोग द्वारा वर्ष २०१७—१८ का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है जिस हेतु वर्ष २०१७—१८ के आंकड़ों की आवश्यकता है।

अतः उक्त पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपने कार्यालय से संबंधित सूचना दिनांक २४—०४—२०१८ तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सूचना संकलित कर उत्तराखण्ड सूचना आयोग को प्रेषित की जा सकें।

संलग्न—यथोपरि

भवदीय,

B.S. Rawat  
(बी०एस०रावत)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी





## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2675780, 2675779

ईमेल : secy-uic@gov.in

संख्या : ३७९१ / उ.सू.आ. / 2018-19

दिनांक : ११.०४. 2018

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3. सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल
5. सचिव, विधान सभा सचिवालय, देहरादून
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, देहरादून/नैनीताल
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
9. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
10. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
11. सचिव, समस्त आयोग, उत्तराखण्ड

विषय : लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलों की सूचना विषयक.

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। आयोग द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखा जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर सूचना का अधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में विश्लेषित जानकारी हेतु एक अध्याय दिया जाता है, जिसके लिए आपके रतर से आयोग को वर्ष 2017-18 में प्रेषित मासिक आंकड़ों का मिलान किया जाना आवश्यक है।

2. कृपया पत्र के पार्श्व में दिये ग्राहक पर वांछित सूचना को पूर्ण कर आयोग को विलम्बतम 28/04/18 तक आयोग की ईमेल पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे प्राप्त सूचनाओं/ आंकड़ों को भी आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन में रामिलित किया जा सके। कृपया अपने तथा अपने अधीनस्थ समस्त स्तरों की संकलित सूचना को ही आयोग को प्रेषित करें। अधीनस्थ स्तरों के द्वारा आयोग को पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जानी है।

3. जिन लोक प्राधिकारियों के स्तर से उपरोक्त सूचनायें समय से प्राप्त नहीं होंगी उनके सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन पर तदनुसार “सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी”/ “संलग्न प्रदान नहीं किया गया” अंकित कर प्रतिवेदन को अन्तिम कर लिया जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

A.R.O.I.(U)

उपरोक्त सूचना द्वारा दिया गया।

५।६५ पा. विवरण प्रेषित करें।

B.C.

18-4-18

S.O/P.I.D

Shaykh

(शत्रुघ्न रिह)

मुख्य सूचना आयुक्त

## लोक प्राधिकारी / विभागावार संकलित प्रनाति विवरण

वर्ष : 2017-18 (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक)

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र		प्रथम अग्रील		संघ 5 के साथें अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्राकाशनों को लाए गए		
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या	प्रथम प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों के साथें एकत्रित कुल संख्या	धारा 8 (र)	धारा 9 धारा 11 धारा 24.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							10	11
							12	13
							14	15
							16	17
							18	19
							20	21
								22

हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम  
फोन / फैसल / ईमेल